

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव(प्रभारी)
उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाँऊ, पौड़ी/नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 07 जून, 2019

विषय:- वर्तमान स्थानांतरण सत्र में स्थानांतरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत स्थानांतरण की अधिकतम सीमा के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-108/XXX (2)/19/30 (13)/2017 दिनांक 01.05.2018 के द्वारा वर्तमान स्थानांतरण सत्र 2019-20 हेतु समस्त विभागों में स्थानांतरण की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत निर्धारित की गयी है। उपर्युक्त के संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा उक्त 10 प्रतिशत की सीमा कुल सृजित पदों अथवा कुल भरे पदों अथवा स्थानांतरण अधिनियम के प्राविधान के अन्तर्गत स्थानांतरण हेतु पात्रता रखने वाले कार्मिकों का 10 प्रतिशत होगी, के संबंध में स्थिति स्पष्ट किये जाने का अनुरोध किया है। उक्त के अतिरिक्त कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के शासनादेश संख्या-118/XXX-2/2019/30(13)/2017 दिनांक 23.04.2019 के द्वारा स्थानांतरण अधिनियम की समय-सारिणी का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश भी निर्गत किये गये हैं।

2. संगत अधिनियम की धारा-27 में प्राविधान है कि अधिनियम के किसी प्राविधान में छूट अपरिहार्य हो तो ऐसे परिवर्तन/विचलन/छूट, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति पर मा० मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से किये जा सकेंगे।

3. उक्त के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्थानांतरण अधिनियम की धारा 8, धारा 11 एवं धारा 14 में उपलब्ध रिक्तियों एवं संभावित रिक्तियों की सीमा तक स्थानांतरण किये जाने का प्राविधान है। उक्तानुसार वर्तमान स्थानांतरण सत्र हेतु निर्धारित 10 प्रतिशत की स्थानांतरण की सीमा को पात्रता सूची में आने वाले कार्मिकों का 10 प्रतिशत समझा जाय। उक्त 10 प्रतिशत की सीमा अधिनियम की धारा 6 के द्वारा निर्धारित तीनों प्रकार के स्थानांतरणों हेतु पृथक-पृथक रूप से लागू होगी। उक्त के अतिरिक्त 10 प्रतिशत की सीमा के आधार पर यदि 01 ही कार्मिक स्थानांतरण की परिधि में आ रहा हो एवं इस प्रकार के स्थानांतरण के क्रियान्वयन हेतु किसी अन्य कार्मिक का स्थानांतरण किया जाना आवश्यक हो तो इस हेतु विभाग पात्रता सूची में आने वाले अगले कार्मिक को स्थानांतरित कर सकता है।

4. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 की धारा 23 के अन्तर्गत निर्धारित समय-सारिणी में आदेश निर्गत करने की

nat 69

अन्तिम तिथि 10 जून को वर्तमान स्थानान्तरण सत्र हेतु परिवर्तित करते हुए 25 जून तक विस्तारित किया जाता है। इस तिथि तक सभी विभाग स्थानान्तरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए आदेश निर्गत किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

भवदीया,
(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव

संख्या: 152/XXX(2)/2019 तददिनांक

- प्रतिलिपि:—1. निजी सचिव, मा०मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. प्रभारी, मीडिया केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. गार्ड फाईल

आज्ञा से,
(महावीर सिंह)
उप सचिव।